मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृतसंस्था)

59 ''सी''विगं, द्वितीय तल नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रं0/10869/ MGNREGS / एन आर 1/2012 दिनांक 24/11/12

प्रति,

- कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला पंचायत।

जिला...(समस्त)

विषयः- मनरेगा से संबंधित नस्तियों एवं पत्रों पर हस्ताक्षर एवं सील (पद मुद्रा) के संबंध में ।

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी स्कीम -म.प्र. के अंतर्गत जिला कलेक्टर को ''जिला कार्यक्रम समन्वयक'' तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ''अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक'' नामांकित किया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ''कार्यक्रम अधिकारी '' नामांकित किया गया है।

परिषद (मुख्यालय) द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न जिलों से प्राप्त होने वाले पत्रों पर ''जिला कार्यक्रम समन्वयक'' अथवा ''अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक '' के हस्ताक्षर हों।वर्तमान में कई जिलों से प्राप्त होने वाले पत्रों पर उक्त दोनों अधिकारीयों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी जैसे-प्रभारी अधिकारी,परियोजना अधिकारी,जिला प्रबंधक, आदि के हस्ताक्षर से पत्र प्राप्त होते हैं। कतिपय परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की सील पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा''FOR''करके हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं,जो कि आपत्तिजनक है।

इसी प्रकार परिषद मुख्यालय में प्राप्त शिकायतों, विधानसभा प्रश्नों आदि के संबंध में जिला /जनपद पंचायत की मूल नस्तियों के अवलोकन में यह पाया जाता है कि नोटशीट पर सिर्फ अधिकारी /कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं तथा उनका नाम उल्लेखित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन स्तर पर नस्तियों के परीक्षण के दौरान हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम ज्ञात नहीं होता हैं।

उपरोक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. परिषद मुख्यालय को भेजेजाने वाले समस्त पत्रों पर ''जिला कार्यक्रम समन्वयक'' अथवा ''अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक'' के मूल हस्ताक्षर होने चाहिए।
2. यदि उपरोक्त अधिकारियां कि अनुपस्थिति में किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं तो हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम भी अंकित होना चाहिए ।
3. जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर मनरेगा के अमले की सील बनवाई जावे जिसमें उनका नाम एवं संक्षिप्त में पदनाम हो। नोटशीट पर अपनी टीप अंकित करने के बाद हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्यत लगाई जावे ताकि भविष्य में नस्तियों की अवलोकन से अधिकारी का नाम एवं पदनाम ज्ञात होसके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(डॉ.रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

क्रं0 / 10879 MGNREGS / एन आर 1/2012 दिनांक 24/11/12

प्रतिलिपिः—

संभाग आयुक्त ....(समस्त) संभाग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संभाग आयुक्त कार्यालय में पदस्थ मनरेगा से संबंधित नस्तियों के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद